फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 217/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/233) **श्री बापूलाल गाडरिया व अन्य बनाम सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेडा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.01.2023	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री सुमित दशोरा - वकील अपीलार्थी 1. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी **अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आंवटन निरस्ती निर्णय दिनांक 03.04.2012, प्रकरण संख्या 07/2012, बउनवानी तहसीलदार, निम्बाहेडा बनाम बापूलाल व अन्य** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 10.01.2023 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आंवटन निरस्ती निर्णय दिनांक 03.04.2012, प्रकरण संख्या 07/2012, बउनवानी तहसीलदार, निम्बाहेडा बनाम बापूलाल व अन्य, के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- • अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ समक्ष तहसीलदा, निम्बाहेडा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मण्डागुलफरोशान तहसील निम्बाहेडा की आराजी संख्या 489 मी. रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि विपक्षी (वर्तमान अपील के अपीलार्थीगण) के पिता को दिनांक 17.04.1993 आवंटित हुई। आवंटी के मृत्यु के उपरान्त विपक्षीगण के नाम विरासत से अंकन हुई, विपक्षीगण द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई एवं मौके पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है, जिससे उपरोक्त भूमि को कब्जे सरकार लेने व बिलानाम अंकन करने के आदेश फरमाये जावे। • जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा निर्णय दिनांक 03.04.2012 से उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आवंटन आदेश दिनांक 17.04.1993 को निरस्त करते हुए उक्त भूमि को बिलानाम अंकन कर कब्जे सरकार लेने का आदेश प्रसारित किया। उक्त आदेश दिनांक 03.04.2012 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ़ समक्ष अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम के दिनांक 04.05.2015 को पेश की गई। तत्पश्चात् राजस्व ग्रुप-6 विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 की अनुपालना में पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर को प्राप्त हुई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449-50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 16.04.2021 को दर्ज की गई। रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 15.12.2022 को अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील मेमो का बहस मानकर पत्रावली फैसल फरमाये जाने का अनुरोध किया। राजकीय पेरोकार द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया।	

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 217/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/233) **श्री बापूलाल गाडरिया व अन्य बनाम सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेडा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील मेमों में प्रस्तुत किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट ने अपीलार्थीगण के पिता व पति स्वर्गीय भागीरथ पिता भूरा को मिसल नम्बर 30/93 से मौजा मण्डा गुलफरोशान की आराजी नम्बर 489 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि का आवंटन आदेश भू-आवंटन कमेटी निम्बाहेडा द्वारा पारित किया गया जिसके विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण की बिना तामिल हुए स्वीकार किये जाने का निर्णय एवं आदेश पारित कर दिया जो अवैधानिक है। अपीलार्थीगण आवंटन दिनांक से काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है, फिर भी पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की व उसी रिपोर्ट को आधार मानकर आवंटित आराजीयात पर अपीलार्थीगण के पिता व पति भागीरथ व भागीरथ की मृत्यु के पश्चात अपीलार्थीगण का कब्जा नहीं होना मानते हुए अवैधानिक आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण को प्रोपर तामिल नहीं हुई थी, फिर भी अपीलार्थीगण की प्रोपर तामिल मानते हुए अपीलार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए निर्णय एवं आदेश पारित कर दिया। जिसकी जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 16.04.2015 को हुई, तत्पश्चात् नकलें प्राप्त कर अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम के पेश की गई। अतः प्रार्थना है कि अपील बहक अपीलार्थीगण विरूद्ध प्रत्यर्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.04.2012 निरस्त फरमाया जाकर अपीलार्थीगण के पिता एवं पति का आवंटन आदेश बहाल किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें। **प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता राजकीय पेरोकार** द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत एवं विधिक प्रक्रिया के पालन उपरान्त पारित किये जाने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया। **हमने उपस्थित अधिवक्ता की विद्वतापूर्ण बहस व अपील मेमों के अंकित कथनों पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।** हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मयाद अधिनियम का संलग्न किया, जिस पर यह न्यायालय प्रकरण का गुणावगुण पर विवेचन करने के साथ ही विनिश्चय किया जाना उचित समझता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि ग्राम मण्डागुलफरोशान तहसील निम्बाहेडा की आराजी संख्या 489 मी. रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि वर्तमान अपील के अपीलार्थीगण के पिता को दिनांक 17.04.1993 आवंटित हुई। आवंटी के मृत्यु के उपरान्त उनके नाम विरासत से अंकन हुई, विपक्षीगण द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई एवं मौके पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं होने एवं आवंटन नियमों की पालना नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आंवटन निरस्ती का आदेश दिनांक 03.04.2012 को पारित किया जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का की पर्चा मौका रिपोर्ट अनुसार आवंटी का आंवटित भूमि 1.05 बीघा संख्या 489मी. का कब्जा सिर्पुद किया गया, सिर्पुदगी के बाद आंवटी ने उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं किया तथा आवंटन शर्तो की पालना भी नहीं की गई। उक्त मौका पर्चा रिपोर्ट अनुसार आवंटी के फौत होने उपरान्त उसके वारिसान का भी कही कोई कब्जा नहीं है। कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के तहत आवंटी को प्रथम वर्ष में कुल	

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 217/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/233) **श्री बापूलाल गाडरिया व अन्य बनाम सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेडा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आवंटित भूमि के 50 प्रतिशत भाग एवं आगामी वर्ष में शेष सम्पूर्ण भाग पर काश्त किया जाना आवश्यक था। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी संवत् 2059-2062 अनुसार मण्डागुलफरोशान तहसील निम्बाहेडा की आराजी संख्या 489मी. रकबा 1.05 बीघा भूमि अपीलार्थीगण के नाम गैर खातेदारी हक से अंकित थी। नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2063-2066 में भी कोई काश्त दर्ज नहीं है। न ही दौराने अपीलीय कार्यवाही अपीलार्थीगण द्वारा अपने कथनों के समर्थन के आवंटन शर्तों की पालना किये जाने के साक्ष्य प्रस्तुत किये है। पर्चा मौका अनुसार आंवटी द्वारा आंवटित भूमि पर न तो कब्जा किया एवं न ही किसी प्रकार की काश्त की है। ऐसी परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा ग्राम मण्डागुलफरोशान तहसील निम्बाहेडा की आराजी संख्या 489मी. रकबा 1.05 बिघा भूमि को अपीलार्थीगण के पिता को दिनांक 17.04.1993 को किया गया आवंटन निरस्त कर उक्त भूमि पुनः बिलानाम अंकित कर कब्जे सरकार लेने को निर्णय दिनांक 03.04.2012 पारित किया, जो पूर्णतया विधि सम्मत एवं तार्किक निर्णय होने से यह न्यायालय कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता है।

उल्लेखनीय है कि अपीलार्थीगण का प्रमुख उज्र सम्मन की प्रोपर तामिल नहीं होना बताया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आया है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर राजस्व नियमावली एवं सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुरूप प्रोपर तामिल के साक्ष्य उपलब्ध है और इस स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थीगण को अपीलाधीन निर्णय एवं आवंटन निरस्ती की कार्यवाही की जानकारी ससमय नहीं थी। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम में प्रस्तुत कारण विश्वसनीय, सतोंषप्रद एवं पर्याप्त नहीं होने से प्रस्तुत अपील मयाद के बिन्दु पर भी स्वीकार्य योग्य नहीं है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है और जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ का निर्णय दिनांक 03.04.2012 यथावत रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(अंजलि राजोरिया)
I.A.S.
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर